

**परिशिष्ट
(देखिए नियम-6)**

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1- परियोजना विवरण-

- | | | |
|----|---|---|
| a) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त | जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत नौगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
संलग्न है |
| b) | 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप | |
| c) | परियोजना की लागत | रु0 लाख |
| d) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य | ग्राम नौगांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु निर्मित होने वाले इस मोटर मार्ग के निर्माण के लिये आरक्षित वन भूमि व सिविल सोयम वन भूमि अधिग्रहण करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
संलग्न है।
है। |
| e) | लागत लाभ विप्लेशण (संलग्न किये जाने के लिए) | |
| f) | रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है | |

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण-

आरक्षित वन भूमि 0.7700 है0 सिविल सोयम वन भूमि 3.3950 है0 वन भूमि प्रयोग की जायेगी।

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है-

उक्त निर्माण कार्य से कोई भी परिवार प्रभावित नहीं होगा।

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | परिवारों की संख्या | लागू नहीं। |
| b) | अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की सं० | लागू नहीं। |
| c) | पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) | |
| d) | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है। | है। |
| e) | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) | संलग्न है। |
| f) | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। | संलग्न है। |

दिनांक.....

स्थान: पुरोला।



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशायी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | राज्य/संघ षासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड राज्य |
| 2 | थजला | उत्तरकाशी |
| 3 | वन प्रभाग | अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट |
| 4 | वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | आरक्षित वन भूमि 0.7700 है० एवं सिविल /सिविल सोयम भूमि 3.3950 है० |
| 5 | वन की कानूनी स्थिति | |
| 6 | हरियाली का घनत्व | |
| 7 | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०- 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए। | वृक्षों की परिगणना सूची संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज/संलग्न है। |
| 8 | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | भूक्षरण के लिए संवेदनशीलता नहीं है। |
| 9 | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | लगा हुआ है। |
| 10 | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमाण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए) | लागू नहीं। प्रमाण पत्र पृष्ठ सं० पर संलग्न है। |
| 11 | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संतापन्न/विषिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | लागू नहीं। प्रमाण पत्र पृष्ठ सं० पर संलग्न है। |
| 12 | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | |
| 13 | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 14 | क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। | लागू नहीं। कार्य प्रारम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र पृष्ठ सं० पर संलग्न है। |



15 प्रतिपूरक वनीकरण स्की का ब्यौरा-

- a) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। संलग्न है।
- b) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
- c) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। संलग्न है।
- d) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।
- e) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) उपरोक्त क्षेत्र वृक्षारोपण स्कीम के लिए उपयुक्त है, प्रमाण पत्र संलग्न है।

16 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विषेशतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपपद्ध 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।

17 प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- a) जिला का भौगोलिक क्षेत्र। पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी।
- b) जिला का वन क्षेत्र 84479.245 है०
- c) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 62208.97 है०
- d) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण 53/124.39 है०
- मद्ध दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि
- दि वनोत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- हद्ध वनभूमि पर
- ीद्ध वनोत्तर भूमि पर
- 18 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप जनहित में संस्तुति की जाती है।

वन संरक्षक की विषेश सिफारिश - जनहित में प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक- 12-3-2015

स्थान, प्रस्तावकर्ता

हस्ताक्षर (प्र. के. ए. के.)
प्रभागीय वनाधिकारी
नाम अपर यमुना वन प्रभाग
सरकारी मोहर बड़काट (उत्तरकाशी)



भाग- III
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

8. स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। संलग्न है।
9. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
10. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

भाग- IV
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

11. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये) संलग्न है।

भाग- V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा जाना है)

17. राज्य सरकार की सिफारिश: (उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विषिष्ट टिप्पणी की जाए)

दिनांक-

स्थान, पुरोला

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

